तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	घेवरचन्द भाटी पुत्र श्री रूपाराम भाटी रूपावास तहसील पाली वर्तमान निवास 24, जवाहर नगर, सरस्वती स्कूल रोड़, गोकुलवाड़ी के पास मण्डिया रोड़ पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 23/2024 जीसीएमएस नं. :– 2024/25 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

28.02.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 11.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./346/2023/118 दिनांक 06.02.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित होने से जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./346/2023/1115 दिनांक 15.09.2023 के सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, पाली ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2023/4746 दिनांक 16.10.2023 अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना नियम 8(1)(ज) के तहत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इस पर इस कार्यालय के जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./346/2023/1281 दिनांक 18.11.2023 के उक्त पत्र की एक प्रति अपीलांट को प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति/प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर आपत्ति जाहिर की।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली